FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

राष्ट्रीय लोक अदालत 18/06/2015

गोपाल पुत्र जैल्या जाति बागरिया निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील खण्डार।

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,खण्डार

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि.1956 अपील संख्या 107/14

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
/15	अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार,खण्डार द्वारा मिसल संख्या 41/11 मे पारित आदेश दिनांक 28/02/11 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जयसिंहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 37/मि.1 रकवा 3.00 बीघा किस्म गै.मु.चरागाह पर संवत 2067 रबी मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने, फसल जब्त कर नीलामी के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर **प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखी गई**। वकील अपीलार्थी व अपीलार्थी उपस्थित नही। वकील रेस्पो0 उप0। पत्रावली का अवलोकन किया गया व वाद अवलोकन प्रकरण को राजस्व लोक अदालत की भावना से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है जिसमे बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण तहसीलदार,खण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वंय मोके पर जाकर जॉच करे कि अपीलार्थी का अतिक्रमित अराजी पर वर्तमान फसल रबि मे कब्जा काश्त रहा है अथवा नही। यदि वाद जॉच अपीलार्थी का कब्जा काश्त नही हो तो अपीलाधीन निर्णय मे पारित सिविल करावास की सजा को निरस्त समझे अन्यथा स्थिति मे सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा। निर्णय आज दिनांक 18/06/15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (कुंजबिहारी शर्मा) सदस्य (बलदेव सिंह हाडा) अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर